

अदालत तारीख

फर्द अहकाम

16/8
2022

पत्रावली देना है। बाबूलाल व शायल वकील
उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार-बार शायल व
शायल वकील को अस्वाभाविकता ज्ञापित किया। बाबूलाल
दिलवाले को बाबूलाल शायल व शायल वकील उपस्थित
नहीं। जिसमें जांच के लिए शायल व शायल
वकील उपस्थित प्रकरण जारी चलाने में शक्य नहीं
ले रहा है।

आ. नं० 139/16 T.I विजयशंकर
बाबूलाल अदम्य पत्रावली व अदम्य पत्रावली में शायल
किया जाता है। पत्रावली फैसला सुभार संकर नमूने
में जम है।

विजयशंकर अधिकारी
फिरोज सिटी (कांती)

10

